तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/3176/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम काना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो

एकल पीठ
श्री धूकलराम कसवां, सदस्य

उपस्थित–

श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

हस्तगत रेफरेन्स राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 39/05 में की गई कार्यवाही दिनांक 1–3–06 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, डूंगरपुर ने जिला कलक्टर, डूंगरपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम धामोद में स्थित खसरा नम्बर 165 एवं 168 रकबा क्रमशः 10–10विस्वा कुल 1 बीघा भूमि नाला दर्ज थी। आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आराजी का नियमन अप्रार्थी श्री काना पिता जीवा के पक्ष में दिनांक 15–11–77 को कर दिया जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 211 के द्वारा रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। इस प्रकार की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत गैर मुमकिन नाला अंकित करने की राय के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशांषित किया गया है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/3176/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम काना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार ग्राम धामोद में स्थित खसरा नम्बर 165 एवं 168 रकबा क्रमशः 10–10विस्वा कुल 1 बीघा भूमि नाला दर्ज थी। आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा उक्त आराजी का नियमन अप्रार्थी श्री काना पिता जीवा के पक्ष में दिनांक 15–11–77 को कर दिया जो जरिये नामान्तरकरण संख्या 211 के द्वारा रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। गै0 मु0 नाला की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं रहती है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमों के विपरीत अंकित की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– *All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.* उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। अतः इस प्रकार की स्थिति में मण्डल को प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत रेफरेन्स अभिशंषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। फलतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि अप्रार्थी के खाते से कम कर राजकीय खाते में पूर्ववत किस्म गैर मुमकिन नाला राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/3176/2006/डूंगरपुर** **सरकार बनाम काना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो